

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0-भवन-नि0-2-107/2017

पटना, दिनांक.....

राज्य के सभी सरकारी भवनों का निर्माण कार्य सेसमिक जोन-V के मानक पर कराये जाने का निर्णय लिया जाता है। उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि राज्य के सभी सरकारी भवनों के निरूपण एवं निर्माण में सुसंगत भारतीय मानक संहिता के प्रावधानों के अनुरूप सेसमिक जोन-V का ही मानक प्रयोग में लाना सुनिश्चित किया जाय।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- भवन-नि0-2-107/2017

1075 (hb) पटना, दिनांक- 05.02.2020

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक)/निदेशक अनुश्रवण/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(X)
4/2/xx

सरकार के संयुक्त सचिव